भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 80

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

80. **श्री टी.एम.सेल्वागणपति:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए 99,446 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योाजना को मंजूरी दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना शुरू करने से पहले ट्रेड यूनियनों के साथ कोई परामर्श किया है और उनसे कोई सुझाव प्राप्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक अर्थात दो वर्ष है। इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं:

भाग क: इस भाग के तहत, योजना के दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार, पहली बार नौकरी में आने वाले को एक पूर्ण माह के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा, जो दो किस्तों में अधिकतम 15000/-रुपये तक हो सकता है।

भाग ख: इस भाग के अंतर्गत, योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार कम से कम छह माह की निरंतर अवधि के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए प्रति कर्मचारी अधिकतम 3000/- रुपये प्रतिमाह तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

यह योजना मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई थी।

****